

अंतिम डिक्री व मुकदमे इस्तफाई

(आदेश सं. ११५ व ११६, जांचा पीठाधीश्वर)

(सहायक कलक्टर एवं प्रभेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर)

व इतहास श्री सुभाष चन्द्र (आय प पत्ता)

वशू राम आदि बनाम शेर जीफ राजस्थान जग्गि तहसीलदार श्रीकरणपुर

धारा अंतर्गत १११ भारतीय मुकदमा नं. ९५/२०२२

दिनांक :- २७.०५.२०२२

यह मुकदमा आज वास्ती इन्फिरमाल कतई रुबक उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व जगरी बायी स्वध पैदा होने पर आवेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वावपत्र बावीमप अंतर्गत धारा १११ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम १९६६ कर्षी भाति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम ५ एक्स, पटवार तहसील २ एक्स, सु.अ.वि. शेर धनुर की जमाबन्दी सम्वत २०७३ ता ७६ के खाता संख्या २४, २७, १७, १६ में रहन एस.बी.बी.जे शाखा श्रीकरणपुर के स्थान पर रहन एस.बी.आई. शाखा श्रीकरणपुर एवं किए जाने के आवेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक २७.०५.२०२२ को यह पचा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुभाष चन्द्र (आय प पत्ता))

सहायक कलक्टर एवं प्रभेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुकदमा	रुपया	पैसा	मुदाबली	रुपया	पैसा
स्लाम्प अरजीवाका	००	००	स्लाम्प वकालतनामा	००	००
स्लाम्प वकालतनामा	००	००	स्लाम्प अरजी	००	--
स्लाम्प इधुती	००	००	मेहनताना वकील पर	००	--
योग	००	००	योग	००	००

(सुभाष चन्द्र (आय प पत्ता))

सहायक कलक्टर एवं प्रभेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: २७.०५.२०२२

कमांक: रीडर/ २०२२/२९८

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनाथ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की निधमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अर्बोहस्ताक्षरकता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।



(सुभाष चन्द्र (आय प पत्ता))

सहायक कलक्टर एवं प्रभेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर